सं० फा० 1(8)-ई 111(ए)/72

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर, 1972.

कार्यालय ज्ञापन

विषय : तदर्थ नियुक्ति पर स्वीकृत उच्चतर प्रारम्भिक वेतन का, अन्ततः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुनाव पर, संरक्षण ।

- - - -

एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या तदर्थ नियुक्ति पर अग्रिम वेतन वृद्धियाँ देकर मंजूर किये गये प्रारम्भिक वेतन का, अन्ततः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित आधार पर चुनाव होने पर, संरक्षण किया जा सकता है । इस सम्बंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नियोजक प्राधिकारी द्वारा अथवा उसके नाम से जारी किये गये आदेशों अथवा अधिसूचना द्वारा की गई कोई भी नियुक्ति मूल नियमों के प्रयोजनों के लिए विधि सम्मत नियुक्ति होती है, और वेतन निर्धारण के नियम, तदर्थ नियुक्तियों में तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके की गई नियुक्तियों में कोई भेद नहीं करते हैं । इस सम्बन्ध में तब कठिनाई उत्पन्न होगी जब नियोजक-प्राधिकारी अग्रिम वेतन-वृद्धियां देकर मूल रूप में तदर्थ नियुक्ति इस प्रत्याशा में कर दे कि अन्ततः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुनाव होने पर आयोग भी उच्चतर वेतन की सिफारिश कर देगा, और यह प्रत्याशा पूरी नहीं हो । अतः यह निर्णय किया गया है कि जब कभी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित भर्ती होने तक, तदर्थ नियुक्तियां की जांय, तब उच्चतर प्रारम्भिक वेतन नहीं दिया जाय क्योंकि इससे, अन्ततः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुनाव होने पर निहित अधिकार और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं ।

(एस० एल० वर्मा)
उप सचिव भारत सरकार ।

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय आदि ।

(प०रा०)